डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2022/17237 **दिनांक:** 19 सितम्बर, 2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य
विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त संस्थान।

विषय: उ0प्र0 सहकारी चीनी मिलो में इंटर्नशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत इंजीनियरिंग के छात्रों को आगामी शीतकालीन अवकाश सत्र में इंटर्नशिप हेतु नामित कराते हुए पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के पत्र संख्या: 872/यू0पी0एफ0/जी0एम0(पी)/23/2022 दिनांक 03.09.2022 के साथ संलग्न शासन के पत्र दिनांक 09.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 24 सहकारी चीनी मिलों में इंटर्नशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के इच्छुक छात्रों को आगामी शीतकालीन अवकाश सत्र में इंटर्नशिप का लाभ लेने हेतु आमंत्रित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संस्थान में उपरोक्त इंजीनियरिंग विषयों में अध्ययनरत जो छात्र इंटर्नशिप करने के इच्छुक हो, को नामित कराकर उक्त की सूची पोर्टल http://upcane.gov.in पर अपलोड कराते हुए उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

तार : 'शुगरफेड'
पीबीएक्स : 2612849 / 2615722 / 2201856
E-mail : upsugarfed@yahoo.co.in
https://www.upcane.gov.in
https:/www.facebook.com/UPcane

फैक्स : 91-522-2627994 / 2201447
दूरभाष : 2628310 / 2263121
टोल फ्री नं0 : 1800-121-3203
Website : www.upsugarfed.org
https://www.twitter.com/canewebsite
https://bit.ly/2kmgpL8

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड

9-ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्र संख्या 872 यू0पी0एफ0/GM(P)/23/2022 दिनांक 03/9/2022

कुलपति / रजिस्ट्रार,
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ (उ.प्र.)।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 24 सहकारी चीनी मिलें संचालित हो रही हैं, जिनकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। सहकारी चीनी मिलों में शासन के इंटर्नशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्यनरत् मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल एवं कैमिकल इंजीरियरिंग के छात्र आगामी शीतकालीन अवकाश सत्र में इंटर्नशिप का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में शासन से निर्गत आदेश संलग्न किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में आप से अनुरोध है कि विभिन्न चीनी मिलों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यनरत छात्रों को विभिन्न संस्थानों से नामित कराते हुए इस हेतु पोर्टल http://upcane.gov.in/ पर आवेदन हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

2/9/22
(रमाकान्त पाण्डेय)
प्रबन्ध निदेशक

Regstr
कुलपति
2687 08/9/22
D.R.
Reg 7/9/22
AR(Est)
श्री एस.के. मिश्रा
3825 07/9/22
3290
DR 8/9/22
PH- for circu
09.09.22 AR
13.09.22
4046 09.09.22

संख्याः 03/46-1-21-2531/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार, राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र.।**
2. **समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उ.प्र.।**
3. **कुलपति/रजिस्ट्रार, डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
4. **कुलपति/रजिस्ट्रार, डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक, विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
5. **समस्त प्रधानाचार्य/प्लेसमेंट प्रकोष्ठ , प्रबंध संस्थान, व्यवसायिक संस्थायें (एन.एस.आई./आई.सी.ए.आई. (सी.एम.ए.)/आई.सी.ए.आई.)।**
6. **समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।**

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2021

विषयः- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में प्रशिक्षु कार्यक्रम (इंटर्नशिप प्रोग्राम) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या:1092/46-1-2019-2531/2017, दिनांक 25 जुलाई, 2019 को अवक्रमित करते हुये, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों यथा-गन्ना आयुक्त व चीनी आयुक्त कार्यालय, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद (शाहजहांपुर), लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., सहकारी गन्ना विकास समिति संघ लि., उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., एवं उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ में विभिन्न संवर्गो यथा-कृषि, विपणन, लेखा, विधि, कम्प्यूटर, शर्करा तकनीकी, अभियन्त्रण, मानव संसाधन, सांख्यिकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण आदि विषयों के संबंध में, स्नातक/परास्नातक व विभिन्न समकक्ष प्रोफेशनल कोर्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये, न्यूनतम 21 दिन व अधिकतम 60 दिन की अवधि हेतु इंटर्नशिप करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

2. विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में चलाये जा रहे उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप प्रोग्राम) के अन्तर्गत प्रशिक्षु छात्रों को, शैक्षणिक विषय के परिप्रेक्ष्य में शासन एवं उसके अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में हो रहे कार्यो से परिचित कराया जायेगा तथा उन्हें अपने विषय से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो के सम्बन्ध में विशेष कौशल, व्यवसायिक/व्यवहारिक अनुभव एवं सामूहिक/टीम के रूप में कार्यस्थल पर कार्य करने का बेहतर अवसर व अनुभव संबंधित कार्यालयों में प्रदान किया जायेगा। इस

पुप्र(का)
15/01/2021
Dy Manager (K)
16.1.2021
GM(K)
Sri Shobhnath

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेषज्ञ विषय में शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त प्रयोगात्मक/व्यवहारिक बनाने में सहयोग के साथ गन्ना विभाग के जिस भी कार्य क्षेत्र में योगदान दें, उसे नवयुवक शक्ति तथा नव विचार प्रदान करना है। विभाग द्वारा नवाचार के रूप में चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप प्रोग्राम) के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं नियम व शर्तें निम्नवत् हैः–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप प्रोग्राम) हेतु दिशा–निर्देश

(1) उत्तर प्रदेश सरकार के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों यथा–गन्ना आयुक्त व चीनी आयुक्त कार्यालय, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद (शाहजहांपुर), लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., सहकारी गन्ना विकास समिति संघ लि., लखनऊ तथा उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., व उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. एवं उसके अधीन मिलों (जिसमें चीनी मिलों के साथ स्थापित कोजनरेशन प्लांट व आसवनी सम्मिलित हैं) में विभिन्न क्षेत्र यथा–मैनेजमेन्ट, मानव संसाधन (एच.आर.), गन्ना शोध एवं विकास कार्यक्रम, लेखा, सूचना का अधिकार, विधि, कम्प्यूटर, शर्करा तकनीक, शर्करा अभियंत्रण, सांख्यिकी, औद्योगिक प्रशिक्षण, आसवनी तकनीकी (अल्कोहल तकनीक), उच्च दाब वाले ब्वॉयलर संचालन हेतु ब्वॉयलर अभियंत्रण एवं विद्युत अभियंत्रण में अर्हता एवं उपयोगिता के आधार पर सीमित अवधि हेतु प्रचुर संख्या में अध्ययनरत एवं इच्छुक विद्यार्थियों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम **अनुलग्नक–1 में दिये गये विषयों में यथानिर्दिष्ट कार्यालय/संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।**

(2) यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र कार्यस्थल पर कार्य का प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक अनुभव प्रदान किये जाने हेतु है तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत इंटर्नशिप पूरा करने पर प्रशिक्षु को संबंधित कार्यालय/संस्था के द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(3) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप प्रोग्राम) का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है तथा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर रोजगार हेतु कोई भी दावा किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य :

(1) अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेषज्ञ विषय में शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त प्रयोगात्मक व व्यावहारिक बनाने में सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ प्रशिक्षु द्वारा विभाग के जिस भी कार्य क्षेत्र में योगदान दें उसे नवयुवक शक्ति तथा नव विचार प्रदान करना है।

(2) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप प्रोग्राम) के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त रोजगार प्राप्त किये जाने की दिशा में अनुभवी व कार्यदक्ष बनाना है।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित अर्हताः

प्रशिक्षु पद हेतु आवेदक को निम्नलिखित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ही अर्ह माना जायेगाः–

(1) आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिये।

(2) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्नातक या परास्नातक या उसके समकक्ष किसी कोर्स/प्रोफेशनल कोर्स के किसी सेमेस्टर में अध्ययनरत तथा अनुसंधानरत विद्यार्थी हो तथा उसके द्वारा पिछले सेमेस्टर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए गये हों, प्रशिक्षु के रूप में आवेदन करने हेतु पात्र/अर्ह होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी वित्तीय वर्ष में सेमेस्टर की परीक्षा के उपरान्त एवं अगले सेमेस्टर के प्रारम्भ से पूर्व के मध्य की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है, परन्तु किसी अभ्यर्थी के द्वारा वर्ष में केवल एक बार ही इन्टर्नशिप हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

(4) ऐसे आवेदनकर्ता जो निर्धारित अर्हता धारण नहीं करते हैं उनके प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

(घ) प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कार्यकाल

प्रशिक्षु हेतु, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 21 दिवस तथा अधिकतम अवधि 60 दिवस होगी।

(ङ) घोषणा पत्र

प्रशिक्षु को, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षु के रूप में चयनित होने के पूर्व, सरकारी कार्यालय की गोपनीयता बनाये रखने के संबंध में यथानिर्धारित प्रारूप पर निजी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उपस्थिति

प्रशिक्षणकाल में प्रशिक्षु की कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(छ) ऑनलाइन आवेदन व चयन की प्रकिया

(1) प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षु के रूप में चयन हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. की वेबसाइट (www.upcane.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन हेतु दिये गये लिंक पर आवेदन करेगा। केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे तथा हार्डकापी में दिया गया कोई आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होगा। आनलाइन आवेदन हेतु लिंक व अन्य विवरण **अनुलग्नक–2** में दिये गये हैं।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षु के रूप में आवेदन स्वीकार होने अथवा अपात्रता के आधार पर अस्वीकार किये जाने की सूचना (ऑनलाइन) आवेदक को, संबंधित कार्यालय/संस्था के नोडल अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(3) आवेदनकर्ता की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु उसे यथासमय संबंधित कार्यालय/संस्था की योजित समिति द्वारा बुलाया जायेगा।

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप प्रोग्राम) के संबंध में प्रशिक्षु हेतु आवेदक छात्रों का चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक छात्रों की उपयुक्तता एवं इंटर्नशिप की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षु हेतु चयन के संबंध में संबंधित कार्यालय/संस्था की योजित समिति के द्वारा परीक्षणोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(ज) स्वमूल्यांकन आख्या

प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर, प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण काल में किये गये कार्यों व कार्य अनुभव के संबंध में आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षु द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यों के सापेक्ष स्वमूल्यांकन एवं सुधारात्मक सुझाव का समावेश हो।

(झ) प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र

प्रशिक्षु द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर, सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा प्रशिक्षु को एक **"प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र"** जारी किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण का विषय एवं प्रशिक्षण अवधि में सम्पादित किये गये कार्य व अनुभव का उल्लेख होगा।

(ट) विशिष्ट उपबन्ध

(1) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित मानकों व शर्तों एवं अन्य निर्देशों में यथाआवश्यकता एवं योग्य अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षित किये जाने के दृष्टिगत शिथिलीकरण व अन्य कोई उपयुक्त आदेश दिये जाने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में निहित होगा।

(2) चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसी भी समय विषयगत **इन्टर्नशिप कार्यक्रम** की समीक्षा एवं संशोधन किया जा सकेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 03(1)/46–1–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
5. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ।
8. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
9. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. गन्ना समिति संघ, लखनऊ।

उपरोक्त क्रमांक 5 से 10 तक उल्लिखित विभाग/संस्था को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य हेतु अपने विभाग/संस्था में **नोडल अधिकारी** नामित करते हुए उनका नाम व मोबाइल नम्बर एवं संवर्गवार इंटर्नशिप की आवश्यकता के सम्बन्ध में सूचना गन्ना एंव चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक-1

गन्ना विभाग में इन्टर्नशिप/अप्रेन्टिसशिप

क्रमॉक	कार्यालय/संगठन	पदनाम	वॉछित अभ्यर्थी
1	उ.प्र. गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ	आर्टिकल	2
		कम्प्यूटर साइंस	2
2	उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,शाहजहाँपुर	सॉयल कैमिस्ट्री	1
		शुगर कैमिस्ट्री	1
		गुड़ कैमिस्ट्री	1
		प्लाण्ट पैथॉलॉजी	1
		एन्टोमोलॉजी	1
		प्लाण्ट ब्रीडिंग	1
		सॉयल माइक्रोबायोलॉजी	1
		टिशू कल्चर	1
3	उ. प्र. गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ	एकाउन्ट	1
		आर टी आई	1
		कृषि प्रशिक्षण	1
		कम्प्यूटर प्रशिक्षण	1
		विधि	1
4	चीनी आयुक्त संगठन	जनसूचनाअनुभाग (विधि)	1
		स्थापन अनुभाग (विधि)	2
		बिल अनुभाग अकाउन्ट/ कामर्स	1
		लेखा अनुभाग अकाउन्ट/कामर्स	1
		आई टी अनुभाग बीटेक, कम्प्यूटर	2
5	गन्ना आयुक्त संगठन	प्रचार अनुभाग पत्रकारिता, मास कम्यूनिकेशन	2
		जनसूचना अनुभाग (विधि)	1
		कय अनुभाग (विधि)	2
		स्थापन अनुभाग (विधि)	2

		समिति अनुभाग (विधि), बी टेक	2
		बिल अनुभाग अकाउन्ट/ कामर्स	1
		विकास अनुभाग अकाउन्ट/ कामर्स	1
		लेखा अनुभाग अकाउन्ट/ कामर्स	1
		आई टी अनुभाग कन्ट्रोल रूम बीटेक, कम्प्यूटर	4
6	**उ. प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ**	मैकेनिकल	48
		इलेक्ट्रॉनिक्स	12
		सिविल	24
		इन्स्ट्रूमेन्टेशन	12
		पर्यावरण	24
		शुगर टैक्नॉलॉजी	48
		अल्कोहल टैक्नॉलॉजी	08
		सीए/ आईसी.डब्लूए	24
		एम.बी.ए.	24
		विधि	24
		कृषि	24
7	**उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ**	मैकेनिकल	06
		इलेक्ट्रॉनिक्स	03
		सिविल	03
		इन्स्ट्रूमेन्टेशन	03
		पर्यावरण	03
		शुगर टैक्नॉलॉजी	06
		अल्कोहल टैक्नॉलॉजी	....
		सीए/ आईसीडब्लूए	03
		एम.बी.ए.	03
		विधि	03
		कृषि	03

संख्याः 872/46-1-22-2531/2017

प्रेषक,

डॉ. रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,** गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. **प्रबन्ध निदेशक,** उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ।
3. **प्रबन्ध निदेशक,** उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ।
4. **निदेशक,** लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
5. **निदेशक,** उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
6. **प्रबन्ध निदेशक,** उ.प्र. गन्ना समिति संघ, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2022

विषयः- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग तथा उसके अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों में संचालित किये जा रहे प्रशिक्षु कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) तथा अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का यथानिर्धारित प्रकियानुसार निस्तारण नियमानुसार कराये जाने हेतु नामित नोडल अधिकारी के संबंध में।

महोदय,

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग तथा उसके अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों में संचालित किये जा रहे प्रशिक्षु कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) तथा अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों कमशः संख्या-03/46-1-21-2531/2017, दिनांक 09 जनवरी, 2021 तथा संख्या-04/46-1-2021-2531/2017, दिनांक 09 जनवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी शिशिक्षु अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित-2014) व शिशिक्षु नियम-2015 के कम में व्यावासायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग, उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-65/89-व्या0शि0कौ0वि0-2017-18(147)/2005, दिनांक 27 जनवरी 2017 में प्रदेश के समस्त सरकारी, सहकारी, निगम अधिष्ठानों तथा निजी उद्योगों व अधिष्ठानों का पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए उसके माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रूप में योजित कराये जाने हेतु इन्टर्नशिप व अप्रेंटिसशिप कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभाग स्तर से निर्गत किये गये उपर्युक्त दोनों शासनादेशों के माध्यम से चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग (शासन स्तर पर) तथा विभाग के अधीन संचालित समस्त संस्थाओं व कार्यालयों में इन्टर्नशिप व अप्रेंटिसशिप कराये जाने हेतु विषय चिन्हित करते हुए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु कार्यकम में योजित किये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने एवं उसका नियमानुसार निस्तारण कराने की व्यवस्था दी गयी है तथा ऑनलाइन

आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने हेतु विभाग व कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल भी कियाशील है।

3. उल्लेखनीय है कि उक्त संचालित किये जा रहे प्रशिक्षु कार्यक्रम (इन्टर्नशिप व अप्रेंटिसशिप) के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों तथा इसके साथ ही साथ ऑफलाइन प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण, परीक्षणोंपरान्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों के कम में संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को विभाग व कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षु कार्यकम (इन्टर्नशिप व अप्रेंटिसशिप) सकुशल पूर्ण कराये जाने से संबंधित कार्यवाही की देख--रेख व नियमित अनुश्रवण किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे कि उक्त कार्यकम की सफलता व उपयोगिता सुनिश्चित हो सके।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग तथा उसके अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों में संचालित किये जा रहे प्रशिक्षु कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) तथा अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का यथानिर्धारित प्रकियानुसार निस्तारण नियमानुसार कराये जाने हेतु, इस पत्र के संलग्नक में संस्थावार एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा शासन स्तर पर तथा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न कार्यालयों में प्रशिक्षु कार्यकम (इन्टर्नशिप व अप्रेंटिसशिप) के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों तथा इसके साथ ही साथ ऑफलाइन प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण, परीक्षणोंपरान्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों के कम में संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को विभाग व कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षु कार्यकम (इन्टर्नशिप व अप्रेंटिसशिप) सकुशल पूर्ण कराये जाने से संबंधित कार्यवाही की देख–रेख व नियमित अनुश्रवण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्याः 872(1)/46–1–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
5. समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार, राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र.।

6. समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उ.प्र.।
7. कुलपति/रजिस्ट्रार, डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. कुलपति/रजिस्ट्रार, डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक, विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. समस्त प्रधानाचार्य/प्लेसमेंट प्रकोष्ठ, प्रबंध संस्थान, व्यवसायिक संस्थायें (एन.एस.आई./आई.सी.ए.आई. (सी.एम.ए.)/आई.सी.ए.आई.)।
10. समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
11. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
12. उप सचिव/अनु सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
13. समस्त नामित नोडल अधिकारी।
14. चीनी उद्योग अनुभाग--1, 2 एवं 3, उ.प्र. शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

पत्र संख्याः 872/46-1-22-2531/2017, दिनांक 10 जून, 2022 का संलग्नक।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग तथा उसके अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों में संचालित किये जा रहे प्रशिक्षु कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) तथा अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का यथानिर्धारित प्रकियानुसार निस्तारण नियमानुसार कराये जाने हेतु नामित नोडल अधिकारी।

क.	विभाग/कार्यालय	नामित नोडल अधिकारी (नाम, पदनाम, मोबाइल एवं ई-मेल)
1	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन। (शासन स्तर पर)	**श्री सुशील कुमार शुक्ल** उप सचिव मो.नं.-9454412373 पता-कक्ष सं.-305, बापू भवन, उ.प्र. सचिवालय, लखनऊ। **ई-मेल-sushil.12373@gov.in**
2	गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ	**श्रीमती नमिता कश्यप,** जिला गन्ना अधिकारी, मुख्यालय मो.नं.-7081202126 पता-कक्ष सं.-203 कार्यालय आयुक्त गन्ना एवं चीनी, न्यू स्कालर हास्टल बिल्डिंग, 17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ **ई-मेल-ddoupcane@gmail.com**
3	चीनी आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ	**श्री विजय बहादुर** सहायक चीनी आयुक्त, मुख्यालय मो.नं.-7081202135 पता-कक्ष सं.-205 कार्यालय आयुक्त गन्ना एवं चीनी, न्यू स्कालर हास्टल बिल्डिंग, 17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ **ई-मेल-aschq123@gmail.com**
4	लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ	डा. नवल किशोर कमल, उप निदेशक, मो.नं.-7081202112 पता-कक्ष सं.-03 लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, 11 बटलर रोड (तिलक मार्ग) लखनऊ **ई-मेल-nawalkamalgks@gmail.com**

5	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ	श्री एस.के. बाजपेयी, चीफ केमिस्ट मो.नं.–6389025510 पता–उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लि. विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। ई–मेल–sunilbajpai1988@gmail
6	उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ	श्री रवि ओझा, सहायक अभियन्ता मो.नं.–7408555399 पता–उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. 9–ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ई–मेल–gmprofed@gmail.com
7	उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर	श्री वी.के. शुक्ला अपर गन्ना आयुक्त (विकास) एवं प्रभारी निदेशक, मो.नं.–6389025301 पता– लोधीपुर (नेता जी सुभाष चन्द्र बोस चौराहा) शाहजहाँपुर ई–मेल–dirupcsr@gmail.com
8	उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. लखनऊ	श्री वी.बी. सिंह संयुक्त गन्ना आयुक्त (समिति) मो.नं.–7081202107 पता–109, कार्यालय आयुक्त गन्ना एवं चीनी, न्यू स्कालर हास्टल बिल्डिंग, 17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ ई–मेल–samiticamp@gmail.com

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड

९-ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

क.सं.	मिल का नाम	जनपद
1	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, अनूपशहर	बुलंदशहर
2	दि बागपत को–आपरेटिव शुगर मिल्स लि॰	बागपत
3	रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि॰	बागपत
4	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, ननौता	सहारनपुर
5	दि किसान को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि॰ सरसावा	सहारनपुर
6	दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, मोरना	मुजफ्फरनगर
7	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰ बदायूं	बदायूं
8	सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि॰, बेलरायां	लखीमपुर
9	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, सम्पूर्णानगर	लखीमपुर
10	रूद्र–बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, बिलासपुर	रामपुर
11	बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, बीसलपुर	पीलीभीत
12	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, पूरनपुर	पीलीभीत
13	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, गजरौला – हसनपुर	अमरोहा
14	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, कायमगंज	फर्रुखाबाद
15	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, साथा	अलीगढ़
16	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, सेमीखेड़ा	बरेली
17	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, स्नेहरोड़	बिजनौर
18	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, तिलहर	शाहजहॉपुर
19	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, पुवायां	शाहजहॉपुर
20	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, घोसी	मऊ
21	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, महमूदाबाद	सीतापुर
22	श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, नानपारा	बहराइच
23	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
24	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, सठियांव	आजमगढ़